



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता संख्या 770 वर्ष 2026

नीतीश राजभर

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार पांडे, प्रिया सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, अभिनीत जयसवाल, जाहन्वी सिंह

न्यायालय संख्या - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री एस.एम. सिंह रोयेकवार, जिनकी सहायता विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता सुश्री निकिता मिश्रा कर रही हैं, तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनीत जायसवाल को सुना गया।
3. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 0062 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 191(1), 115(2), 74, 109(1), 352, 351(3), 117(2) भारतीय न्याय संहिता [146, 323, 354, 307, 504, 506, 325 भारतीय दंड संहिता], थाना- देवा, जिला- बाराबंकी में अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। आवेदक रियल एस्टेट का व्यवसाय करता है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि सूचनाकर्ता की पुत्री एवं आवेदक के भाई अंकित राजभर के बीच मित्रता थी। आवेदक का भाई सूचनाकर्ता की पुत्री को निरंतर वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा था। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने आज दाखिल पूरक शपथ पत्र के पृष्ठ संख्या 60 से 68 पर अनुलग्नक संख्या-8 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक के भाई और सूचनाकर्ता की पुत्री की यह मित्रता सूचनाकर्ता तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को स्वीकार्य नहीं थी। सूचनाकर्ता ने स्वयं एक समारोह में उसे आवेदक को तथा उसके भाई को डांटने-फटकारने का प्रयास किया था। अभियोजन कथानक के अनुसार घटना दिनांक 27.02.2026 को रात्रि 09:30 बजे घटित हुई थी तथा घटनास्थल से थाने की दूरी 16

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किलोमीटर थी, किंतु सूचनाकर्ता प्राथमिकी दर्ज कराने थाने नहीं गया और न ही उसने पुलिस थाने में कोई फोन किया। उसने अगले दिन दिनांक 28.02.2026 को 13:42 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई। कथित घटना में यदि कथित व्यक्तियों को कोई चोटें आई थीं, तो उन्हें कोई प्रथम चिकित्सीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई। अभियोजन के अनुसार उन्हें लगभग 18 घंटे बाद दिनांक 28.02.2026 को अपराह्न 03:00 बजे चिकित्सीय सहायता दी गई। एक घायल डोली सिंह के बयान के अनुसार पुत्र के सिर की चोट पर 9 से 10 टांके आए थे, किंतु चिकित्सीय परीक्षण आख्या में टांके के निशान का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी उल्लिखित है कि एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति को भी चोटें आईं और उसका पैर टूट गया, किंतु उस अज्ञात व्यक्ति (तेज बहादुर, जो कि सूचनाकर्ता नहीं है) ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे कोई चोट नहीं आई है और उसका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि चिकित्सा-विधिक आख्या में चिकित्सक द्वारा सभी चोटों को साधारण प्रकृति का बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रपत्र में सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का कारण देने हेतु एक निर्दिष्ट स्थान होता है, जो कि रिक्त है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः वह अग्रिम जमानत का अधिकारी है।

5. राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री एस.एम. सिंह रोयेकवार तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का घोर विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि वादी एवं उसके परिवार को अभियुक्तगण द्वारा लोहे की रॉड से बर्बरतापूर्वक पीटा गया था तथा एक अज्ञात व्यक्ति को भी चोट आई थी। श्री एस.एम. सिंह रोयेकवार ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि घटना की प्रकृति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने शिकायतकर्ता की पुत्री एवं आवेदक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के भाई के मध्य मित्रता तथा उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी अभिवचनों के संबंध में प्रति-शपथ पत्र दाखिल करने हेतु कुछ समय देने का अनुरोध किया। वे प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने में हुए विलंब का कारण स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। श्री एस.एम. सिंह रोयेकवार ने आगे तर्क दिया कि संभ्रांत परिवारों में यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है, तो वे अक्सर असमंजस की स्थिति में होते हैं, इसलिए समय पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं कराई जा सकी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आवेदक पक्ष की ओर से समझौते हेतु दबाव बनाया जा रहा था, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता-तेज बहादुर की लिखित शिकायत पर थाना- माती, जिला- बाराबंकी में मुकदमा अपराध संख्या- 22 वर्ष 2026 अंतर्गत धारा 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दबाव बनाने हेतु सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है।

6. श्री रोयेकवार ने आगे तर्क दिया कि विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अज्ञात व्यक्ति तेज बहादुर का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उसने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। अपने बयान में उसने कहा कि वह घटना में बीच-बचाव कर रहा था और गिर पड़ा, जिससे उसे चोटें आईं, किंतु वे चोटें अभियुक्तगण द्वारा नहीं पहुंचाई गई थीं। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एन. संजय 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1747** का भी आश्रय लिया और तर्क प्रस्तुत किया कि अग्रिम जमानत के प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यक नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कथानक के अनुसार घटना दिनांक 27.02.2026 को हुई थी (जो प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रारूप में त्रुटिवश 24.02.2026 समय 21:30 बजे अंकित हो गई है)। अभियोजन के अनुसार तीन व्यक्तियों को चोटें आईं, किंतु वादी एवं घायलों द्वारा कोई चिकित्सीय सहायता नहीं ली गई और वे लंबे समय तक प्रतीक्षा करते रहे। अगले दिन दिनांक 28.02.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया गया तथा उसके पश्चात घायलों का चिकित्सीय परीक्षण 28.02.2026 को कराया गया। अभियोजन के अनुसार उन्हें लोहे की रॉड से पीटा गया था, किंतु चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई हैं। आज दाखिल पूरक शपथ पत्र में आवेदक ने जिस तथ्य पर विश्वास व्यक्त किया है, उसके अनुसार सूचनाकर्ता की पुत्री और आवेदक के भाई के बीच मित्रता थी और वह उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा था, जो सूचनाकर्ता को स्वीकार्य नहीं था। वादी द्वारा उसी दिन अर्थात् 28.02.2026 को थाना-माती में उपरोक्त वर्णित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 22 वर्ष 2023 भी दर्ज कराई गई थी। जैसा कि केस डायरी से भी प्रकट होता है कि सूचनाकर्ता थाने गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, किंतु धारा 180 भारतीय न्याय संहिता के तहत उसका बयान उसी दिन दर्ज नहीं किया गया और उसका बयान 12.03.2026 को दर्ज किया गया था। उस तिथि को भी उसने प्रश्नगत अपराध के विवेचना अधिकारी को ऐसी कोई शिकायत नहीं दी कि उसे अभियुक्तगण द्वारा धमकाया जा रहा है। अतः इस न्यायालय का यह मत है कि आवेदक अग्रिम जमानत पाने का अधिकारी है।

8. आवेदक- नीतीश राजभर को उपरोक्त प्रकरण में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह अपना बयान धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दर्ज कराने हेतु दिनांक **15.06.2026 को प्रातः 11:30 बजे** संबंधित विवेचना अधिकारी/प्रभारी निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होगा। वह विवेचना अधिकारी को अपना मोबाइल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नंबर उपलब्ध कराएगा और विवेचना के समापन तक अपना मोबाइल नंबर बंद नहीं करेगा। यदि आवेदक को विवेचना अधिकारी/जांच एजेंसी द्वारा अभिरक्षा में लिया जाता है, तो उसे 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा, जिसके समान अपराध का वह अभियुक्त या संदिग्ध है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक (1) प्रकरण की सुनवाई, (2) आरोप विरचित करने, तथा (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता / 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करने की नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह छूट होगी कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई करे।

9. उपरोक्त निर्देशों के साथ, अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायामूर्ति राजीव सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11 जून, 2026

हर्षिता

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।